177

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 5(1)मं.मं./2014 जयपुर, दिनांक– 01/2/17

आज्ञा

इस सचिवालय की समंख्यक आज्ञा दिनांक 02.01.2014, 29.01.2015 एंवं 13.01.2016 के द्वारा राज्य में विभिन्न विभागों, राजकीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत संविदा आधारित कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाने/नियमितीकरण तथा सेवा में भर्तियों से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय स्थायी समिति से प्राप्त सुझावों पर विचार–विमर्श कर राज्य सरकार को सुझाव दिये जाने हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय उप–समिति को कर्मचारीयों के कल्याण संबंधी विभिन्न मांगों पर विचार विमर्श कर अपनी अभिषंशा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु भी अधिकृत किया गया था, में एततद्वारा निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

1.	श्री राजेन्द्र राठौड़, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री यूनुस खान, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
3.	श्री अजय सिंह, मंत्री, सहकारिता विभाग	सदस्य

उक्त उप समिति में श्री दिगम्बर सिंह, उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम कियान्वयन समिति, पूर्वानुसार ही विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित रहेंगें।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग होगें।

उक्त समिति, अपनी रिपोर्ट शीघ्र राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग को उनके डायरी क्रमांक 4304/एसपी/2016 दिनांक 13.12.2016 के क्रम में।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
6. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम कियान्वयन समिति
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
8. रक्षित पत्रावली।

(एन.एल. जेवरिया)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 5(1)मं.मं./2014 जयपुर, दिनांक 02.01.2014

आज्ञा

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से राज्य में विभिन्न विभागों, राजकीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत संविदा आधारित कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाने/नियमितीकरण तथा सेवा में भर्तियों से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय स्थायी समिति से प्राप्त सुझावों पर विचार–विमर्श कर राज्य सरकार को सुझाव दिये जाने हेतु निम्नानुसार मंत्रिमण्डलीय उप–समिति का गठन किया जाता हैः–

1. श्री राजेन्द्र राठौड़, मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग –अध्यक्ष
2. श्री यूनुस खान, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग –सदस्य
3. श्री अजय सिंह, राज्य मंत्री, सहकारिता विभाग –सदस्य

उक्त समिति अपनी रिर्पोट शीघ्र राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी ।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग होगें ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हरी बाबू शर्मा)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण ।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव ।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय ।
6. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग–मा. मुख्य मंत्री महोदया से प्राप्त निर्देश(नोटशीट) की छांया प्रति संलग्न कर बिन्दू सं.–1 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 5(1)मं.मं. / 2014

जयपुर, दिनांक 29/1/15

आज्ञा

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 02.01.2014 के द्वारा राज्य में विभिन्न विभागों, राजकीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत संविदा आधारित कर्मचारियों / अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाने / नियमितीकरण तथा सेवा में भर्तियों से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय स्थायी समिति से प्राप्त सुझावों पर विचार–विमर्श कर राज्य सरकार को सुझाव दिये जाने हेतु निम्नानुसार गठित मंत्रिमण्डलीय उप–समिति को कर्मचारियों के कल्याण संबंधी विभिन्न मांगों पर विचार–विमर्श कर अपनी अभिशंषा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु भी अधिकृत किया जाता है:–

1. श्री राजेन्द्र राठौड़, मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग –अध्यक्ष
2. श्री यूनुस खान, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग –सदस्य
3. श्री अजय सिंह, राज्य मंत्री, सहकारिता विभाग –सदस्य

उक्त समिति अपनी रिर्पोट शीघ्र राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी ।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग होगें ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

29/1/15

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण ।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव ।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय ।
6. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. रक्षित पत्रावली ।

(हरी बाबू शर्मा)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

127

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 5(1)मं.मं./2014 जयपुर, दिनांकः 13.01.2016

आज्ञा

दि.29.01.15

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 02.01.2014 के द्वारा सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न विभागों, राजकीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत संविदा आधारित कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाने/नियमितीकरण तथा सेवा में भर्तियों से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय स्थायी समिति से प्राप्त सुझावों पर विचार–विमर्श कर राज्य सरकार को सुझाव दिये जाने हेतु निम्नानुसार मंत्रिमण्डलीय उप–समिति का गठन किया हुआ है:–

1. श्री राजेन्द्र राठौड़, मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग –अध्यक्ष
2. श्री यूनुस खान, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग –सदस्य
3. श्री अजय सिंह, राज्य मंत्री, सहकारिता विभाग –सदस्य

उक्त उप समिति में श्री दिगम्बर सिंह, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है।

उक्त समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग होगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

13/01/2016
(अजीत कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण ।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव ।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय ।
6. शासन सचिव, कार्मिक विभाग को उनके अशा0 टीप संख्या नि.स./सचिव/कार्मिक/15 दिनांक 13.01.2016 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।

13/1/16
(हरी बाबू शर्मा)
सलाहकार